उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1010/ग्यारह-2-22-9(42)/17-टी.सी.62-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(256)-2022

लखनऊः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छप्पनवाँ संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छप्पनवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह तारीख 1 अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगीं ।
नियम 21 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017, (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 21 में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्: "(ज) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसके लिये धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक माह या उसके आंशिक भाग के लिये विवरणी दाखिल करना अपेक्षित हो, निरन्तर छह माह की अवधि तक विवरणी प्रस्तुत न किया हो; (झ) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके लिये धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही या उसके आंशिक भाग लिये विवरणी दाखिल करना अपेक्षित हो, निरन्तर दो कर अवधियों तक विवरणी प्रस्तुत न किया हो।";
नियम 36 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली के नियम 36 में,- क. उप-नियम (2) में, शब्द, अक्षर और अंक, " और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-2 में दी गई हैं" निकाल दिये जायेंगे; ख. उप-नियम (4) में, खंड (ख) में, शब्द "का ब्यौरा" के पूर्व शब्द "के संबंध

		में इन्पुट कर प्रत्यय" बढ़ा दिये जायेंगे;
नियम 37 का संशोधन	4.	उक्त नियमावली के नियम 37 में,- (क) उपनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिये जाएंगे, अर्थात्:- "(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी ऐसी आवक पूर्ति पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया हो, जो उन पूर्तियों से भिन्न हो जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर संदेय हो, किन्तु उसके पूर्तिकर्ता को धारा 16 की उपधारा (2) के द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल हो, उस पर संदेय कर सहित बीजक जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाली कर अवधि में, ऐसी पूर्ति के संबंध में प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के बराबर राशि का भुगतान धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ प्ररूप जीएसटीआर-3ख में करेगा : परंतु यह कि उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई पूर्तियों का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा: परन्तु यह और कि धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी धनराशि के कारण पूर्तियों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जायेगा।; (2) जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति बाद में इस तरह की पूर्ति के मूल्य की धनराशि का संदाय उसके पूर्तिकर्ता को संदेय कर के साथ करता है, वहाँ वह उप-नियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय का पुनः उपभोग करने का हकदार होगा। "; (ख) उप-नियम (3) निकाल दिया जायेगा;
नियम 38 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली के नियम 38 में,- (क) खंड (क) में, उप-खंड (ii) में, शब्द, अक्षर और अंक, "प्ररूप जीएसटीआर - 2 में" निकाल दिये जायेंगे; (ख) खंड (ग) में, शब्द, अक्षर और अंक, "और प्ररूप जीएसटीआर -2 में दिया

		जाएगा", के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "और इनपुट कर प्रत्यय की शेष धनराशि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उत्क्रमित कर दी जाएगी" रख दिये जायेंगे; (ग) खंड (घ) निकाल दिया जाएगा;
नियम 42 का संशोधन	6.	उक्त नियमावली के नियम 42 में, उप-नियम (1) में, खंड (छ) में, शब्द, अक्षर और अंक, "प्ररूप जीएसटीआर -2 में बीजक स्तर पर और" निकाल दिये जायेंगे;
नियम 43 का संशोधन	7.	उक्त नियमावली के नियम 43 में, उप-नियम (1) में, शब्द, अक्षर और अंक, "प्ररूप जीएसटीआर-2 और" दोनों स्थानों पर जहां कही वे आते हैं, निकाल दिये जायेंगे;
नियम 60 का संशोधन	8.	उक्त नियमावली के नियम 60 में, उप-नियम (7) में, शब्द "स्वत: तैयार" के स्थान पर, शब्द "स्वतः जनित" रख दिये जायेंगे;
नियम 69, 70,71,72, 73,74,75, 76,77,79 का निकाला जाना	9.	उक्त नियमावली के नियम 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 79 निकाल दिये जायेंगे;
नियम 83 का संशोधन	10.	उक्त नियमावली के नियम 83 में, उप-नियम (8) में, खंड (क) में, शब्द "और आवक" निकाल दिये जायेंगे;
नियम 85 का संशोधन	11.	उक्त नियमावली के नियम 85 में, उप-नियम (2) में, (क) खण्ड (ख) मे शब्द "उक्त व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "उक्त व्यक्ति; या" रख दिये जायेंगे; (ख) खंड (ग) निकाल दिया जायेगा;
नियम 89 का संशोधन	12.	उक्त नियमावली के नियम 89 में उपनियम (1) में,- क शब्द "कोई व्यक्ति, जो" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 49 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद बही में किसी भी अतिशेष धनराशि के, या " बढ़ा दिये जायेंगे; ख प्रथम परंतुक निकाल दिया जाएगा; ग द्वितीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और भी कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु

		यह कि" रख दिये जायेंगे; घ तृतीय परंतुक में, शब्द "परन्तु यह भी कि" के स्थान पर, शब्द "परन्तु यह और कि" रख दिये जायेंगे;
नियम 96 का संशोधन	13.	उक्त नियमावली के नियम 96 में, उपनियम (3) में शब्द, अक्षर और अंक "यथास्थिति प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-3ख" के स्थान पर, अक्षर और अंक, "प्ररूप जीएसटीआर-3ख" रख दिये जायेंगे;
प्ररूप जीएसटीआर-1क, जीएसटीआर-2, एवं प्ररूप जीएसटीआर-3 का निकाला जाना	14.	उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-1क, प्ररूप जीएसटीआर-2 और प्ररूप जीएसटीआर-3 निकाल दिये जायेंगे;
प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 का संशोधन	15.	उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में, भाग-क में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, "गतिविधियों की सूची" शीर्षक के अधीन, शब्द "और आवक" निकाल दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव